प्रेसनोट

थाना बरूआसागर, जनपद झाँसी

दिनांक- 20.07.2026

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **थाना बरूआसागर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में साइबर फ्रॉड व साइबर फ्राड करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.07.2026 को थाना बरूआसागर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-181/2026 धारा 49/317(5) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त- **दीपक खगार पुत्र मोतीलाल खगार निवासी ग्राम नौंरा थाना टेहरका जिला निवाड़ी (म0प्र0)** को गिरफ्तार किया गया। पूँछताछ व अभियुक्त के मोबाइल तथा एनसीआरपी व समन्वय पोर्टल पर जानकारी की गयी तो गिरफ्तार अभियुक्त के विरूध्द उक्त मुकदमे से सम्बन्धित पर्याप्त साक्ष्य पाये गये जिसके आधार पर थाना स्थानीय के साइबर कार्यालय द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 204/308(6) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी है। उक्त अभियुक्त द्वारा फर्जी रुप से इन्स्पेक्टर राहुल पाण्डेय बनकर लोगों को आजीवन कारावास की सजा में मुकदमा दर्ज करने तथा जेल भेजने का डर दिखाकर साईबर फ्रॉड के तहत पैसे अपने एकाउन्ट में मंगाता था। उक्त अभि0 को मु0अ0सं0- 181/2026 अन्तर्गत धारा- 49/317(5)/204/308(6) बीएनएस के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता :-</u> दीपक खगार पुत्र मोतीलाल खगार निवासी ग्राम नौंरा थाना टेहरका जिला निवाड़ी (म0प्र0)

बरामदगी का विवरणः-

मौके से एक अदद मोबाइल फोन OPPO A77s मोडल CPH2473 बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना बरूआसागर जिला झाँसी।
2. रि0आ0 योगेश सैनी थाना बरूआसागर जिला झाँसी।